VII

EXTRACT FROM GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)

Appearing on Page No. 397—398

Dated 23-5-98

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 मई, 1998

सा.का.नि. 101.—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और धारा 200 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालू लाईनें) सामान्य नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालू लाईनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) भारतीय रेल (चालू लाईनें) सामान्य नियम, 1976 में अध्याय XVI के नियम 3 में, उपनियम (2) और (3) से पहले निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) यदि किसी कारण से रेलपथ के दोनों ओर समपार पर स्थित गेट को बन्द नहीं किया जा सकता हो तो वहां पहुंचने वाली गाड़ी को रोकने के लिये सामान्य नियम, 16.06 में अधिकथित अनुबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाए।"

(ii) विद्यमान उप नियम (2) और (3) को क्रमशः (3) तथा (4) के रूप में पुःसंख्यांकित किया जायेगा।"

3. (i) भारतीय रेल (चालू लाईनें) सामान्य नियम, 1976 में अध्याय XVI में नियम 6 के उपनियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(क) यदि संभव हो तो सड़क यातायात के लिये गेट को बंद करने के लिये कार्रवाई की जाये।

(ख) गेट बंद करने के पश्चात् समपार से गुजरने वाली गाड़ी को हाथ से संकेत किया जाये।

(ग) यदि गेट को बंद नहीं किया जा सकता हो तो बैनर अथवा समपार-झंडी ऐसी रीति में लगाई जाये कि गुजरने वाली गाड़ी को गेट पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही रुकने के लिये संकेत किया जा सके और तत्पश्चात् हाथ से संकेत देकर गाड़ी को गुजारा जाये।"

(ii) विद्यमान उप नियम (ख) को (घ) के रूप में पुःसंख्यांकित किया जायेगा।

[सं 98/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/19/3]

शान्ति नारायण, सदस्य यातायात एवं पदेन सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम सा.का.नि. 445(ई) तारीख 21-7-81 द्वारा अधिसूचित किये गये थे और उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये :—

(1) सा.का.नि. 320 तारीख 16-4-1983
(2) सा.का.नि. 352 तारीख 30-4-1983
(3) सा.का.नि. 514(ई) तारीख 27-6-1983
(4) सा.का.नि. 476(ई) तारीख 28-6-1984
(5) सा.का.नि. 245 तारीख 23-5-1992
(6) सा.का.नि. 83 तारीख 17-2-1996

(Railway Board)

New Delhi, the 18th May, 1998

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 and clause (a) of sub-section (2) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (i) In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter XVI, in rule 3, before Sub-rule (2) and (3), the following shall be inserted, namely :—

"(2) If for any reasons the gates at level crossings cannot be so closed/fastened across the thoroughfares on both sides of the track, action to prevent the approaching trains, if any, from running into the gate may be taken in accordance with stipulations laid down under General Rules 16.06."

(ii) The existing Sub-rule (2) and (3) be renumbered as "(3) and (4)" respectively.

3. (i) In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter XVI, in rule 6 for sub-rule (a) the following shall be substituted, namely :—

"(a) take action to close the gates, if possible, against road traffic.

(b) After closing the gates, hand signal the train movements past the Level Crossing.

(c) If the gates cannot be so closed put the banner flag or level crossing flag in such manner as to warn the approaching train to stop short of the gate and thereafter hand signal the train."

(ii) The existing "Sub-rule (b)" shall be renumbered as '(d)'.

[No. 98|Safety(A&R)|19|3]
SHANTI NARAIN, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

NOTE :—The Principal rules were notified vide No. GSR 445(E) dated the 21st July, 1981 and were subsequently amended vide No.

(1) GSR 320 dated the 16th April, 1983.
(2) GSR 352 dated the 30th April, 1983.
(3) GSR 514(E) dated the 27th June, 1983.
(4) GSR 476(E) dated the 28th June, 1984, and
(5) GSR 245 dated the 23rd May, 1992.
(6) GSR 83 dated the 17th February, 1996.

IndiaCode

MGIPRRND—1319 Railway/98-II-D—17-6-98—1000